न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 13/2023

अदानी कैपीटल प्राईवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड कार्यालय अदानी हाउस, 56 श्रीमाली सोयाइटी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद गुजरात–380009 कार्यालय एस 18–19, महिमा ट्रिनिटी मॉल, प्लॉट नंबर 5, स्वेज फार्म, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर राजस्थान– 302019 जरिये प्राधिकृत अधिकारी रोहन बागडी

...प्रार्थी

बनाम

1- Mr. Deepak Kumar Gupta (Borrower & Mortgagor)
Address1- Patel Nagar, Ward No- 30, Dausa Khurd, District Dausa Rajasthan-303303
Address2- Plot in Khasra No. 1603, Patel Nagar Road, Dausa Khurd, District Dausa Rajasthan-303303
2- Mrs. Neetu Gupta (Co-Borrower)
Address1- Patel Nagar, Dausa Khurd, District Dausa Rajasthan-303303
Address2- Plot in Khasra No. 1603, Patel Nagar Road, Dausa Khurd, District Dausa Rajasthan-303303

.....अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002

उपस्थित : श्री भवानी सिंह नरूका, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक: 15.02.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अदानी कैपीटल प्राईवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड कार्यालय अदानी हाउस, 56 श्रीमाली सोयाइटी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद गुजरात–380009 कार्यालय एस 18–19, महिमा ट्रिनिटी मॉल, प्लॉट नंबर 5, स्वेज फार्म, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर ने अप्रार्थी/ऋणी को रूपये 20,00,000/– (रूपये बीस लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qumer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:47:56 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर,दौसा

.....निरंतर 2 पर

प्रार्थना पत्र सं0 13/2023

अधिवक्ता प्रार्थी अदानी कैपीटल प्राईवेट लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी अदानी कैपीटल प्राईवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी अदानी कैपीटल प्राईवेट लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी व जमानतदारों को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई श्री दीपक कुमार गुप्ता पुत्र श्री गोपाल लाल गुप्ता की एक आवासीय संपत्ति जो कि प्लॉट नंबर 350, खसरा नंबर 1603, स्कीम पटेल नगर, राजस्व ग्राम दौसा खुर्द, आगरा रोड जिला दौसा राजस्थान में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 150 वर्गगज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी अदानी कैपीटल प्राईवेट लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 15 फरवरी, 2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

जिला कलक्टर,दौसा

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:47:56 IST
Reason: SelfAttested